न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण संख्या : 120/2012

रतनलाल पुत्र रामनाथ जाति कंडारा निवासी वार्ड नं0 18 मांगरोल जिला बारां .....वादी

♠ बनाम ♠

01. रविन्द्र कुमार पुत्र पानाचन्द जाति महाजन निवासी मांगरोल जिला बारां
02. गोपाल पुत्र
03. भवानी शंकर पुत्र
04. हरिबल्लभ पुत्र
05. भंवरलाल पुत्र
06. नरेश पुत्र

} रामचन्द्री बाई निवासी वार्ड नं0 18 मांगरोल जिला बारां

07. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 व 53 आर0टी0एक्ट0

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)
वकील वादी : श्री वीरेन्द्र सिंह
वकील प्रतिवादीगण : श्री अजीत कुमार जैन
दायरा दिनांकः 17.07.2012 निर्णय दिनांक : 08.01.2018

प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी एवं वादी के भाई जालम सिंह एवं बहिनो रामचन्द्री बाई, रतनी बाई के संयुक्त खाते की आराजियात खसरा नं0 4496 रकबा 0.48 है0, खसरा नं0 4500 रकबा 1.03 है0 कुल किता 2 रकबा 1.51 है0 वाके माल मांगरोल में स्थित है। जिसमें वादी का हिस्सा 1/4 निहित है। वादी के बडे भाई जालम सिंह तथा छोटी बहिन रतनी बाई ने अपना–अपना 1/4 हिस्सा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र प्रतिवादी क्रम 1 रविन्द्र कुमार के पक्ष में कर दिया। इस प्रकार जर्ये इन्तकाल संख्या 1293 दिनांक 29.10.2009 हिस्सा 1/2 का वह रेकार्डेड खातेदार है। वादी की बडी बहिन रामचन्द्री बाई की मृत्यु दिनांक 31.12.2011 को हो चुकी है। रामचन्द्री बाई ने अपने जीवनकाल में लगभग 20 वर्ष पहले अपने हिस्से 1/4 का हक त्याग वादी के पक्ष में मौखिक रूप से कर दिया। तब से वादी निर्बाध रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रतिवादी क्रम 1 उसको जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से हिस्सा 1/2 प्राप्त हुयी आराजी से अधिक आराजी पर कब्जा करने को आमादा हो रहा है। तथा आये दिन वादी को धमकिया देता रहता है, तथा प्रतिवादी क्रम 2 ता 6 भी उनकी माता स्व0 रामचन्द्री बाई के हिस्से की भूमि पर अपने

[illegible] खुलवाने तथा रहन, बैचान करने को आमादा हो रहे है जबकि उन्हे ऐसा करने का कोई [illegible] नही रहा। अतः वादी को अधिकार हे कि प्रतिवादी कम 1 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय [illegible] प्राप्त कर सके कि प्रतिवादी कम 1 उसे प्राप्त आराजी से अधिक आराजी पर कब्जा नही करें तथा [illegible]तिवादी कम 2 ता 6 भी उनकी माता स्व0 रामचन्द्री बाई के द्वारा हक मौखिक हक त्याग वादी को दी जा चुकी है उस पर इन्तकाल नही खुलवावे तथा आराजी को रहन बेचान नही करनें। अतः वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादी गण के विरूद्ध डिकी जारी की जावें कि आराजी खसरा नं0 4496 रकबा 0.48 है0, खसरा नं0 4500 रकबा 1.03 है0 कुल किता 2 रकबा 1.51 है0 वाके माल मांगरोल में वादी को हिस्सा 1/2 का खातेदार घोषित किया जावें तथा खाते पृथक–पृथक किये जावें। व प्रतिवादी कम 1 ता 6 को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।

उक्त आशय का वाद पत्र प्राप्त होने पर दिनांक 17.07.2012 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी सं0 1 लगायत 7 तक को जर्ये सम्मन तलब किया गया। बार–बार तलबी किये जाने एवं अंतिम अवसर दिये जाने पर भी प्रतिवादीगण 1 लगायत 7 आज दिनांक 08.01.2018 तक भी न्यायालय में असालतन या जर्ये वकालतन उपस्थित नही हुए। रूक–रूककर तीन बार आवाज दिलवाई गई तदुपरान्त भी उपस्थित नही होने से सभी पक्षकारो को एक्स पार्टी घोषित कर कार्यवाही एक तरफा अमल में लायी गयी।

हमने पत्रावली में उप्लब्ध रेकार्ड का अद्योपान्त अवलोकन, अध्ययन एवं मनन किया। पत्रावली में उप्लब्ध राजस्व रेकार्ड जमाबंदी सम्वत 2065 लगायत 2068 ग्राम मांगरोल में खसरा नं0 4496 रकबा 0.48 है0, खसरा नं0 4500 रकबा 1.03 है0 कुल किता 2 रकबा 1.51 है0 में सहखातेदार रामचन्द्री बाई हिस्सा 1/4 जो बरसो पूर्व स्वर्गीय हो चुकी है और वादी रतनलाल पुत्र रामनाथ हिस्सा 1/4 की सगी बहिन थी ने अपने जीवनकाल में लगभग 20 वर्ष पहले अपने हिस्से 1/4 का हकत्याग वादी के पक्ष में मौखिक रूप से हक तर्क कर दिया था जिस पर वादी का कब्जा चला आ रहा है। किन्तु वादी की ओर से किसी प्रकार का साक्ष्य, सबूत अथवा विधि संगत दस्तावेज इस आशय का पेश नही किया जिससे उक्त प्रतिवादीगण कम संख्या 2 लगायत 6 की माता रामचन्द्री बाई जो वादी की सगी बहिन थी एवं हिस्सा 1/4 की मालिक थी, अपना हिस्सा वादी के हित में हकत्याग किया हो। ऐसी सूरत में वादपत्र वादी दूषित होकर आधारहीन हो गया है। अतः मुताबिक वादपत्र वादी को कोई राहत देय नही बनती है। लिहाजा वाद वादी खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08.01.2018 को सरेइजलास मजमेंआम में सुनाया गया।

(1) यह कि वादी